



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 1447/2026

भगवान शंकर सिंह उर्फ उत्तम सिंह...

..आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता- जनार्दन सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता- शासकीय अधिवक्ता, आकांक्षा अवस्थी, विजय नाथ पांडे

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामा अभिलेख पर लिया गया है।

अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय नाथ पांडे की दलीलें को सुना गया ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप है कि 16.11.2025 को सुबह लगभग 11:30 बजे, पुरानी दुश्मनी के चलते एक पंचायत हुई, और उसके बाद लालबागिया पुल के पास, शिकायतकर्ता के पति आनंद यादव और उनके पट्टीदार, किशन लाल यादव और दशरथ लाल यादव पर सात नामजद अभियुक्तों ने धारदार हथियारों, भाले और लोहे की छड़ों आदि से हमला किया। इस घटना में शिकायतकर्ता के पति के सिर पर चोटें आईं और पट्टीदारों किशन लाल यादव और दशरथ लाल यादव को भी चोटें आईं।

अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष के मामले में सात अभियुक्तों के खिलाफ तीन व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, और वर्तमान आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आनंद को छोड़कर, जिसके सिर में फ्रैक्चर की चोट बताई गई है, किसी अन्य घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। आग्नेयास्त्र का अपकथित उपयोग का आरोप झूठा है, क्योंकि न तो ऐसा कोई हथियार बरामद हुआ है और न ही आग्नेयास्त्र से किसी चोट की सूचना मिली है। आवेदक ने जमानत आवेदन के पैरा 9 और 10 में अपने दो आपराधिक मामलों का विधिवत स्पष्टीकरण दिया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी, जिसमें घायल गवाहों के बयान भी शामिल हैं, से यह स्पष्ट नहीं है कि आनंद को जानलेवा चोट किसने पहुंचाई।

आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक 17.11.2025 से जेल में है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वह न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाएगा और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं करेगा और आवेदक इस बात का आश्वासन देता है कि वह मामले की शीघ्र सुनवाई में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय नाथ पांडे ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक से लोहे की छड़ और डंडा बरामद किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें सभी घायलों की चोटों की रिपोर्ट भी सम्मिलित है।

तीनों घायल व्यक्तियों की चोट संबंधी रिपोर्टें इस प्रकार

हैं:-

"दशरथ लाल यादव-

1. दाहिनी भौंह से 3 सेमी ऊपर, दाहिनी ओर माथे पर 6 सेमी x 1 सेमी गहरा घाव, किनारे साफ है, रक्तस्राव मौजूद। एक्स-रे कराने की सलाह दी जाती है।

2. बाईं भौंह के ठीक नीचे, बाईं आंख के चारों ओर, 4 सेमी x 3 सेमी की सूजन। नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।

3. दाहिने कान के ठीक बगल में, चेहरे के दाहिने हिस्से पर 3 सेमी x 0.6 सेमी का खरोंच।

किशन लाल यादव-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. बाईं भौंह से 3 सेमी ऊपर, माथे के बाईं ओर 7 सेमी चौड़ा और 1 सेमी गहरा घाव। जिसके किनारे स्पष्ट हैं तथा रक्तस्राव हो रहा है। एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है।

2. दाहिने कान से 9 सेमी ऊपर, सिर के दाहिनी ओर 7 सेमी x 4 सेमी का खरोंच लगा हुआ घाव,

3. दाहिनी भौंह के थोड़ा नीचे, चेहरे के दाहिनी ओर, 8 सेमी x 8 सेमी का खरोंचदार और सूजन वाला घाव।

4. दाहिने कंधे के ऊपरी भाग पर चारों ओर 9 सेंटीमीटर की खरोंच वाली सूजन। एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है।

5. बाएं टखने के जोड़ से 10 सेमी ऊपर, बाएं पैर के निचले हिस्से के पीछे, 3 सेमी x 1.5 सेमी का लाल रंग का चोट का निशान (कंट्यूजन) पाया गया है।

आनंद कुमार यादव-

1. दाहिने कान से 6 सेमी ऊपर, सिर के दाहिनी ओर, खोपड़ी की गहराई में 12 सेमी x 1 सेमी का घाव, रक्तस्राव मौजूद है। सिर का एक्स-रे कराने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. दाहिनी भौंह के ठीक ऊपर, दाहिने माथे पर 5 सेमी x 2 सेमी की खरोंच वाली सूजन। सिर का एक्स-रे कराने की सलाह दी जाती है।

3. दाहिनी नाक से रक्तस्राव मौजूद है। ईएनटी सर्जन से परामर्श लें।

4. बाएं कान से रक्तस्राव मौजूद है। ईएनटी सर्जन से परामर्श लें।

5. बाएं कंधे के जोड़ से 6 सेमी नीचे, बाएं हाथ के चारों ओर, 8 सेमी का खरोंच वाली सूजन। एक्स-रे कराने की सलाह दी जाती है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह निर्विवाद है कि आनंद को छोड़कर किसी अन्य घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, अन्य दो घायल व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं; वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और अभियोजन पक्ष के मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है, मुकदमे में सहयोग करने का वचन दिया है और 17.11.2025 से जेल में बंद है, मैं इस प्रकरण में आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित मानता हूं।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक-भगवान शंकर सिंह उर्फ उत्तम सिंह, जो मुकदमा अपराध /एफआईआर संख्या 521/2025, अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 117(2), 109(1), 110, 352, 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद-गोंडा में संलिप्त है, को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलके एवं समतुल्य धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) आरोपी अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आरोपी अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आरोपी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

मामले की परिस्थितियों में विचारण न्यायालय /संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत याचिका तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

18 मार्च, 2026

विनय/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।